

सेवा में

प्रमाण प्रदान करने वाली
दिये गए हैं जैसे पत्रिकाओं में
लगाए (लगाने)

लिखा है जाते के लिखा में

~~लिखा~~
महोदय

मेरी मादेश कुमार 3/0 सुरक्षा का प्रती संस्था
मेरी मा 3/0 Electronics Engineering का कक्षा
खाने हुए जैसे Under Rental पर जारी जल
जहाजी जगी हैं। आपसे निवेदन है कि
मेरी जारी में OBC लिखा है आपकी
आदि कृपा होगी
आपकी आदि कृपा होगी

धन्यवाद

नाम - मादेश कुमार

कक्षा - इलेक्ट्रॉनिक्स 3/0

व जारी में OBC

EN No → F/18/11233000047



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिलो
तहसील
आदेश क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

बागपत
बडौत
8003130000973
080131300487

जारी दिनांक: 25/05/2013

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

श्री आदेश कुमार
श्री सुरजपाल
अ.
बिजवाडा
बडौत
बागपत



उत्तर प्रदेश राज्य की कुम्हार जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1998 की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह श्री प्रमाणित किया जाता है कि श्री आदेश कुमार पूर्वोक्त अधिनियम 1998 (यथा संशोधित) की अनुसूची 2 (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (सशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो 30% लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (सशोधन) अधिनियम 2002 एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक 20 अक्टूबर 2002 द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय पाँच लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम 1996 में तथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।

जारी कर्ता केन्द्र:
पद
स्थान
दिनांक
हस्ताक्षर एवं मुहर

वयम जन सेवा केंद्र
प्रवीण कुमार शर्मा प्रभारी
आजमगढ़ मूलसम, बडौत, बिनाली 16, बागपत
26/05/2013

Digitally Signed by
Chauhan Ved
Singh

(SN=382371625A3188E824)

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
बडौत, बागपत
दिनांक: 25/05/2013

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया तथा सक्षम अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है एवं सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://uponline.up.nic.in> पर सत्यापित किया जा सकता है।